

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर

मुमुक्षु आश्रम, बरेली मोड़, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242226

प्रवेश नियमावली

(सत्र: 2026-27)

सन्देश



प्रिय विद्यार्थियों,

अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि महान तपस्वी अनंत श्री विभूषित स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती जी महाराज की पावन संकल्पनाओं को विस्तार देते हुए पूज्य स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती जी ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जनपद शाहजहाँपुर में मुमुक्षु शिक्षा संकुल के रूप में ज्ञान का जो दीप प्रज्वलित किया, वह आज आध्यात्मिक एवं आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय रूपी भुवन-भास्कर की भाँति देदीप्यमान हो रहा है। इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में, ज्ञान की शाश्वत साधना में प्रवृत्त सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों एवं समर्पित शोधार्थियों का आह्वान तथा हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है।

शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो मनुष्य के भीतर विवेक और चरित्र का निर्माण करती है। हमारा ध्येय इस विश्वविद्यालय को एक ऐसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जहाँ आधुनिकतम शोध, नवाचार (Innovation) और प्राचीन भारतीय मूल्यों का अद्भुत समन्वय हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप, हम विद्यार्थियों को बहु-विषयक (Multi-disciplinary) और कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

शाहजहाँपुर की इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती पर स्थित यह विश्वविद्यालय न केवल आपके बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपको वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाएगा। हमारा प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों को एक ऐसा वातावरण दें जहाँ उनकी जिज्ञासाओं को पंख मिलें और वे राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकें। 'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'। (इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है।)

मैं आप सभी नवागंतुक विद्यार्थियों का आह्वान करता हूँ कि आप इस ज्ञान-यज्ञ में सम्मिलित हों और पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं परिश्रम के साथ अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाएँ।

उज्ज्वल भविष्य हेतु मेरी अनंत मंगलकामनाएँ.....

प्रो. पी. बी. सिंह

कुलपति
स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय
शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश

अनुक्रमाणिका

1. स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय एक सन्क्षिप्त परिचय -	3
2. स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय विज्ञान मिशन एवं मूल्य	3-4
3. प्रवेश नियमावली खंड - क	5-10
4. प्रवेश नियमावली खंड - ख	10-13
5. प्रवेश नियमावली खंड - ग	13-14
6. माध्यमिक शिक्षा संस्थानों की सूची	15-20

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर: एक परिचय

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर की स्थापना 15 अप्रैल 2026 को हुई। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शाहजहाँपुर जनपद में स्थित है, वर्तमान में जिसका अधिकार क्षेत्र शाहजहाँपुर जनपद की सीमा तक है। विश्वविद्यालय परिसर लगभग 22 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। परिसर में प्रशासनिक भवन, संकाय भवन, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्वामी शुकदेवानन्द सभागार, अतिथि गृह और खेल परिसर है। विश्वविद्यालय परिसर में इनडोर स्टेडियम एक प्रमुख सुविधा है, जो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग तथा कुश्ती (ग्रेपलिंग मैट सहित) से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक आधुनिक, पूर्णतः सुसज्जित जिम्नेजियम है। परिसर के बाहरी भाग में एथलेटिक्स ट्रैक तथा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शॉट पुट, भाला फेंक एवं अन्य खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक चिकित्सा केंद्र भी है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्न संकाय है :-

- कला संकाय
- वाणिज्य संकाय
- विधि संकाय
- विज्ञान संकाय
- शिक्षा संकाय
- कृषि संकाय
- प्रबन्ध संकाय

विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाईन है। परीक्षा परिणाम ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों मोड में घोषित किए जाएंगे। शोध कार्य, सिनॉपसिस, एडमिशन से लेकर थीसिस सबमिशन तक एवं शोध मूल्यांकन पूर्णतया: ऑन लाईन प्रस्तावित है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षकों की नियुक्ति ऑन-लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के रोजगार एवं करियर विकास को ध्यान में रखते हुए एक पूर्ण विकसित ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल स्थापित की जाएगी। इस सेल का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में कैम्पस प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराना है।

विजन (Vision)

"ज्ञान, नवाचार, अन्वेषण और मानवीय मूल्यों पर आधारित उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनना।"

मिशन (Mission)

- समकालीन उच्च शिक्षा संबंधी मुद्दों पर आलोचनात्मक विमर्श प्रारंभ करना।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व और प्रबंधन करना।
- शिक्षा में प्रवृत्तियों और विकास का अनुसंधान एवं निगरानी करना।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

- ग्रामीण जनसंख्या के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- मानक छात्रावास सुविधाएँ, शारीरिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा प्रदान करना।
- शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना।
- सामान्य लोगों की शैक्षिक उन्नति के लिए संसाधनों का विकास और उपयोग करना।
- समाज के बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का समर्थन करना।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके रोजगार क्षमता और आर्थिक विकास में सुधार करना।
- शिक्षा में व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक शैक्षिक नेटवर्क का निर्माण करना।

मूल्य (Values)

अपने दृष्टिकोण और मिशन की प्राप्ति हेतु, विश्वविद्यालय निम्नलिखित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है-

- सामाजिक न्याय
- गुणवत्ता
- नैतिकता
- उत्तरदायित्व
- आध्यात्मिकता

अधिगम संस्कृति (Learning Culture)

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर एक ऐसे शैक्षिक वातावरण के सृजन हेतु संकल्पित है जहाँ उत्कृष्ट शिक्षण और गहन अनुसंधान का समन्वय हो। हमारा लक्ष्य पारम्परिक शैक्षणिक आदर्शों के संरक्षण के साथ-साथ उच्च शिक्षा में आधुनिक नवाचारों और उत्साह का संचार करना है। यह संस्थान ज्ञान की व्यापकता को आत्मसात करते हुए विभिन्न विषयों के अंतर्संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए विविध शोध एवं शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रतिबद्ध है।

छात्र प्रथम (Student First)

छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय की पहचान होगा। हम उच्च शिक्षा में अनुशासन और गुणवत्ता के साथ-साथ एक प्रगतिशील 'मॉड्यूलर सिस्टम' अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा शैक्षणिक ढांचा तैयार करना है जो सुसंगत होने के साथ-साथ इतना लचीला भी हो कि बदलते समय की मांग के अनुसार श्रेष्ठ परिणाम दे सके।

खण्ड 'क'

(क) विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों की सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश समर्थ पोर्टल/राज्य स्तरीय / विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय केंद्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।
(ख) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) एवं उक्त के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप ही होंगी एवं स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे। परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे।

1. समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि समाप्त होने के पश्चात जिन छात्र छात्राओं का पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ होगा उन छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अपने विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्राप्त कर जमा कराने हेतु अधिकतम 04 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा, तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा छात्रों के माईग्रेशन की पठनीय प्रति छात्रों के प्रवेश पंजीकरण फार्म के साथ डिजिटल फार्म में अपलोड कराते हुए उसकी मूल प्रति आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को प्राप्त कराई जाएगी। अपलोड की गई माईग्रेशन की डिजिटल प्रति के आधार पर छात्रों को नामांकन आवंटित होगा परन्तु महाविद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि माईग्रेशन की मूल प्रति को विश्वविद्यालय में प्रवेश के एक माह के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में छात्र का नामांकन स्थगित रखा जाएगा।
3. महाविद्यालय अपने परिसर में प्रवेश पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के पंजीकरण फॉर्म पर उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अंकित हो, ताकि छात्रों को समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जा सकें। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भरे हुए प्रवेश पंजीकरण फॉर्मों की जाँच और उनमें त्रुटियों को दूर करने के लिए 01 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय इन फॉर्मों की आवश्यक जाँच कर उन्हें प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को अग्रसारित करेंगे तत्पश्चात किसी भी त्रुटि के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।
4. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अहर्ता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी।
5. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब यह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन पाठ्यक्रमों में बैक पेपर परीक्षा / पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमें अगली कक्षा में प्रवेश सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार होगा।
(ख) उपर्युक्त (क) के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।
(ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. (क) परीक्षार्थी को बी.ए., बी.एससी., बी कॉम (सेमेस्टर सिस्टम) बी.बी.ए., बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 06 वर्ष की अवधि में, एम.ए., एम.एससी./एल.एल.एम./एम.बी.ए./एम.सी.ए. की परीक्षा 04 वर्ष की अवधि में, बी.एससी. (कृषि) पाठ्यक्रमों की परीक्षा अधिकतम 08 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी पाठ्यक्रम की अवधि का अधिकतम दो गुने वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। परन्तु बी.एड. एवं

एम.एड. परीक्षा अधिकतम 03 वर्षों में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो।

(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित किये जायेंगे। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी।

7. परीक्षार्थी को 7 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण / पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा उक्त पाठ्यक्रम के अध्यादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न होगी।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 30.09.2022 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है यथा कोई भी छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक पाठ्यक्रम नियमित प्रकृति का होगा एवं दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षा का।
9. (क) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् बी.एड./बी.पी.एड. आदि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
10. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा के किसी पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) में अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह स्तानांतरण प्रवेश निम्न के अधीन होगा-
(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।
(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, विधि कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
(घ) यह स्थानांतरण मध्य सेमेस्टर में अनुमन्य नहीं होगा केवल संबंधित शैक्षिक वर्ष की समस्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही अनुमन्य होगा। प्रथम वर्ष में किसी भी दशा में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आप त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में स्तानांतरण ले रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा की नए विश्वविद्यालय की क्रेडिट नीति और आपके पुराने क्रेडिट का मिलान (Credit Mapping) इस प्रकार हो की 50% की क्रेडिट की शर्त पूरी हो सके। इस प्रक्रिया के लिए आपका और दोनों संस्थानों का www.abc.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश इस विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

11. स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आहर्ता निम्नवत होगी –

- (क) ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।
- (ख) बी. एससी. (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित) में प्रवेश हेतु गणित विषय से इंटरमीडिएट/ कक्षा 12/ समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (ग) बी. एससी. (जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) में प्रवेश हेतु जीव विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट/ कक्षा 12/ समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (घ) बी.एससी. कृषि के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट जीव विज्ञान (बायो ग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 अंक घटाकर किया जायेगा।
- (ङ) बी. कॉम. तथा बी. कॉम. (प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों) में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग (Any stream) से इंटरमीडिएट/ कक्षा 12/ समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (च) बी. ए. में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग (Any stream) से इंटरमीडिएट/ कक्षा 12/ समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (छ) बी.एड./एलएल. बी. में प्रवेश, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अथवा केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों से होंगे, जब तक कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया या नियम निर्धारित न करें।
- (ज) बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
- (झ) एलएल.बी. (त्रिवर्षीय), बी. ए. एलएल. बी. (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बार काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा प्राविधानित नियम IV 'Rules of Legal Education' के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-NCL) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतः सामान्य जाति हेतु 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-NCL) हेतु 42 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।
- (i) त्रिवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑन लाईन पंजीकरण के माध्यम से, प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुमन्य कराये जायेंगे।
- (ii) पंचवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑन लाईन पंजीकरण के माध्यम से, मेरिट के आधार पर अनुमन्य कराये जायेंगे।
- (iii) पंचवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना है। न्यूनतम प्राप्तांक के सम्बन्ध में उपरोक्त (झ) के अंतर्गत वर्णित नियम लागू होंगे।
- (iv) प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- (v) बार काउन्सिल आफ इण्डिया (बी.सी.आई) द्वारा जारी चैप्टर-11 'Standard of Professional Legal Education Rule 10' का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- (ज) अन्य पाठ्यक्रमों/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में नियमों उल्लेख आगे (खण्ड – ग) किया गया है।
12. बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र निम्नलिखित ग्रुप के विषयों में से 02 मुख्य (Major) एवं 01 गौड़ (Minor) विषय का चयन कर सकते हैं-

Group-1	Group-2
शारीरिक शिक्षा	राजनीति विज्ञान
सैन्य अध्ययन	अर्थशास्त्र
समाजशास्त्र	इतिहास
मनोविज्ञान	भूगोल
दर्शनशास्त्र	गृहविज्ञान
शिक्षाशास्त्र	संगीत
हिन्दी साहित्य	चित्रकला
अंग्रेजी साहित्य	अरबी
संस्कृत	फारसी
	उर्दू

नोट: प्रवेशार्थी किसी भी विषय समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है।

13. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब-ए-माहिर / अदीब-ए-कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा ऑनलाईन एवं दूरस्थ परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उन्हें उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
14. जिन अभ्यर्थियों ने यूपी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। (सूची संलग्न)
15. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इंटर के समकक्ष मानते हुये स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
16. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये क्रमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे। स्पष्टीकरण-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं आचार्य संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी. एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
17. शासनादेश सं० 07/2016/720/15-7-2016 शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माना गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है।
18. स्नातक स्तर पर अतिरिक्त एकल विषय के लिये नामांकन अनुमन्य नहीं होगा।

19. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
20. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता-प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण पत्र सहित कॉलेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कॉलेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।
- 21. स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिये निम्न नियम निहित होंगे-**
 - (क) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
 - (ख) स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। परन्तु जो पाठ्यक्रम BCI/AICTE/NCTE/PCI/MCI आदि के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं उन पाठ्यक्रमों हेतु उक्त वर्णित संस्थाओं में रेग्युलेटरी बॉडी के द्वारा प्रदत्त नियम मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिये 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाएगी अर्थात् उनके लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक होना आवश्यक है।
 - (ग) (i) विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षा (एम.एससी.) में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम वर्ष में मुख्य (Major) विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(ii) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षा (एम.ए.) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर अंतिम वर्ष में लिए गए विषय के छात्रों को वरीयता दी जाएगी।
(iii) वाणिज्य संकाय की स्नातकोत्तर कक्षा (एम.कॉम.) में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी.कॉम./बी.कॉम. (Professional)/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए., अथवा बी.ए./बी.एससी. (अर्थशास्त्र या गणित प्रमुख विषय के साथ में) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(iv) मास्टर आफ लॉ (एल.एल.एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये वे विद्यार्थी अर्ह होंगे जिन्होंने किसी महाविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय)/एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) डिग्री प्राप्त की हो।
(v) एल.एल. एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा (यदि विश्वविद्यालय प्रवेश समिति कोई अन्य नियम निर्धारित नहीं करती हैं)।
22. स्नातकोत्तर कक्षाओं निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
23. एम.एड./एल.एल.एम. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अथवा केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों से होंगे, जब तक कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया या नियम निर्धारित न करें।
24. एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
25. एल.एल. एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑन लाईन पंजीकरण के माध्यम से, प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुमन्य कराये जायेंगे।

26. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी अन्य स्नातोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देता तथा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र इस विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देता।
27. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उक्त छात्र को नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि इच्छुक हो, तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।
28. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले प्रवेश पा चुका है तो उसकी जानकारी होने पर उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, भले ही मामला जैसा भी हो।
(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।
(ङ) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहायकों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डा गद्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक यह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा सम्बन्धित अध्यादेश के अनुरूप उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग अस्थायी / अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म पूर्व कक्षा/वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
30. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी (स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को छोड़कर), अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रक्रिया को अनुमत न किया गया हो।
31. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आवश्यकतानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रणाली से करायी जायेगी इसकी अधिसूचना (Notification) पृथक से जारी की जायेगी।
32. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) से मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्र त्रिवर्षीय एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
33. उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 2418/सत्तर-3-2023-09 (01)/2022 (L4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के अनुरूप शासन द्वारा तैयार Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) की नीति को विश्वविद्यालय द्वारा कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 से लागू कर दिया गया है।

- त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व से जो उपलब्ध हैं, वह आगे भी लागू रहेंगे। चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - विद्यार्थी को स्नातक कक्षा में प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को उपाधि प्रदान की जाएगी।
 - तीसरे गौण (माइनर) विषय का चुनाव विद्यार्थी अपने संकाय अथवा बहु-विषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकता है।
 - यदि छात्र द्वारा द्वितीय/तृतीय वर्ष / वर्षों में विषय परिवर्तित किया जाता है तो छात्र को अध्ययन किये गए तीनों वर्षों में जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 क्रेडिट प्राप्त होंगे, उसी संकाय में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।
 - यदि विद्यार्थी अध्ययन किये गए तीनों वर्षों में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय-विशेष की शर्त (prerequisite) आवश्यक नहीं होगी।
 - विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत किया जाएगा। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।
 - यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये प्रथम दो वर्षों में अधिकतम $6 \times 2 = 12$ क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये प्रथम तीन सेमेस्टर में अधिकतम $3 \times 3 = 9$ क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।
 - विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष Credit Transfer Policy 2026 तैयारी की गई एवं उक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक 2124/सत्तर-3-2024-08 (19)/2022 (L1) दिनांक 02 सितम्बर 2024 द्वारा जारी Online Course Mapping and Credit Transfer Policy को आत्मसात करते हुए सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालय में प्रभावी कर दिया गया है।
 - यह नीति स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स के ट्रांसफर को नियंत्रित करेगी, चाहे वे विश्वविद्यालय में नामांकित रहते हुए अन्य शैक्षिक संस्थानों में (आउटवर्ड ट्रांसफर) ट्रांसफर करें या अन्य संस्थानों में अर्जित क्रेडिट्स को इस विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करें (इनवर्ड ट्रांसफर)।
- क्रेडिट ट्रांसफर निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है:-
1. पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व विश्वविद्यालय से छात्रों का निकास।
 2. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों की लैटरल एंट्री।
 3. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा माइनर पेपर / स्किल कोर्स UGC SWAYAM/NPTEL/MOOCs या अन्य स्वीकृत प्लेटफार्म्स के माध्यम से अर्जित क्रेडिट।
 4. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत स्टैंड-अलोन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जित करना।

5. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ स्वीकृत एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भाग लेना।

खण्ड 'ख'

विशेष निर्देश -

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्ताकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे।
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 संख्या 1191/सत्तर-2-2010-3 (58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/ संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा-

(I) लम्बवत् आरक्षण:-

पिछड़ा वर्ग: समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति: समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति: समस्त सीटों का 02 प्रतिशत

(II) क्षैतिज आरक्षण:-

क. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
ग. दिव्यांग जनों के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 4 प्रतिशत
घ. महिलाओं के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग (non-creamy layer) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

(iv) शासनादेश संख्या 192/सत्तर-7-2019-बी.एड. (00)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी. दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर

श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होगी एवं 'EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) शासनादेश संख्या 4004/15-11-88-31581/79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।

3. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति संतुष्ट हो, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।

4. प्रवेश के लिये योग्यता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

6. प्रवेश हेतु तैयार की गयी मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे-

अ	(1)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक	10 अंक
	(2)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
ब		विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत / सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
स	(1)	एन.सी.सी. के 'सी' प्रमाण पत्र अथवा 'जी' प्रमाण पत्र	10 अंक
	(2)	'बी' और 'जी-1' प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
द	(1)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(2)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
य	(1)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(2)	राज्य के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(3)	रोवर्स / रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक
	(4)	12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गार्ड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक

नोट- किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होगा।

7. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाडी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे। स्पष्टीकरण- बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।
8. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिये बिना कारण बताये प्रवेश के लिये मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति / प्राचार्य उसके निरस्त कर सकते हैं।
9. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो यह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
10. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति / अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिये जायें।
11. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिये छात्र कारणों का उल्लेख करते हुये दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। छात्रहित में समस्त महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रवेश स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, जिसमें छात्र द्वारा स्थानान्तरण हेतु समुचित कारण का उल्लेख किया गया होगा, पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेंगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उक्त आवेदन के 15 दिनों के पश्चात भी प्रवेश स्थानान्तरण हेतु लिखित अनापत्ति प्रदान नहीं की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि महाविद्यालय को छात्र/छात्रा के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश स्थानान्तरण दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अथवा महाविद्यालय को अनापत्ति प्रदान न करने का समुचित कारण स्पष्ट करना होगा एवं विश्वविद्यालय इसकी समीक्षा करेगा एवं छात्रहित में उचित निर्णय लेगा, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना समस्त के लिये बाध्यकारी होगा। छात्र द्वारा प्रवेश के समय ही समस्त अभिलेख महाविद्यालयों में जमा किये जाते हैं। अतः स्थानान्तरण के समय छात्र को कोई भी प्रमाण-पत्र पुनः नवीन महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायेगा। सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या 10 की शर्तें पूरी हो रही हों। स्पष्टीकरण-यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 10 की शर्तें उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होंगी।
12. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों / अध्यादेशों के अनुरूप किये जायेंगे।
13. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
14. महाविद्यालयों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
15. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और यह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर

दिया जायेगा। यदि वह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

16. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक के पूरक कार्यवृत्त संख्या पर लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू.पी.आर.टी.ओ.यू.), इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू., यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लेखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश / व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।

17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-5-1/2008 (सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा।

18. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिये निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात् यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य है तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होंगे।

19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए. आई. यू. से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अर्ह माना जाये।

खण्ड 'ग'

विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम-

- 1) B.Com. (Professional Courses)- वाणिज्य स्नातक के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बी.कॉम. फाईनेन्स, बी.कॉम. फाईनेन्सियल सर्विसेज, बी.कॉम. कम्प्यूटर / बी.कॉम. ए.आई., बी.कॉम. टूरिज्म, बी.कॉम. टैक्सेशन, बी.कॉम. एडवांस्ड इत्यादि) में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग/विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-12)/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा। प्रवेश हेतु सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक होने चाहिए।
- 2) BBA में प्रवेश के लिये इण्टरमीडिएट / समतुल्य परीक्षा में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एस.सी. / एस.टी. के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होंगे। प्रत्येक वर्ग (All Stream) का छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 3) BCA- 10+2 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्णी, (GEN न्यूनतम अंक 50%, OBC/SC/ST न्यूनतम अंक 45%) गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अथवा

बायोलॉजी / कला वर्ग / वाणिज्य वर्ग के साथ उत्तीर्ण छात्रों को हाईस्कूल में गणित विषय से पास होना अनिवार्य है।

अथवा

3 वर्षीय पॉलिटेक्निक (कंप्यूटर विज्ञान /आई टी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे छात्र जिनके पास 12 वीं कक्षा में गणित एक विषय के रूप में नहीं है, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में आवश्यक रूप से एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम (Elective Course) के रूप में गणित के लिए नामांकन कर उत्तीर्ण करना होगा।

- 4) B.Sc. Home Science प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 5) B.Sc. Bio Tech प्रदेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 6) B.Sc.- Microbiology- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 7) B.Sc. (Computer Science)- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्र/छात्राओं के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 8) UG Diploma in E-Commerce में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग/विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-12)/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा। प्रवेश हेतु सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक होने चाहिए।
- 9) M.S.W- स्नातक / परास्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. (NCL) कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
- 10) PGDCA-स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. (NCL) कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 2 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
- 11) PG Diploma in Computer Application, PG Diploma in Office Management, PG Diploma in Modern Arabic, दो नियमित पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. (NCL) कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे, तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 12) B-Lib./M. Lib. में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा क्रमशः इंटरमीडिएट तथा B-Lib. होगी जिसमें सामान्य एवं ओ.बी.सी. (NCL) कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तब ही छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 13) Ph.D. (शोध उपाधि) पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियमों की पृथक नियमावली शोध निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।
- 14) विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमावली को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।
- 15) सभी महाविद्यालयों को अपने प्रवेश अद्यतन नियमावली के अनुसार करने होंगे।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION

1. BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION (ANDHRA PRADESH), VIJAYAWADA, D. No. : 48-18-2/A, Nagarjunanagar Email: bie.andhra@ap.gov.in
2. BOARD OF SECONDARY EDUCATION (ANDHRA PRADESH), No. 20 -124, Beside SPNRCH High School, Opp. Andhra Hospitals, Gollapudi, Vijayawada - 521225 Website: www.bseap.org
3. A.P. OPEN SCHOOL SOCIETY Govt. of Andhra Pradesh, Opp. L.B. Stadium 'E' Gate, S.C.E.R.T Campus, III Floor Basheerbagh, Hyderabad.
4. ASSAM HIGHER SECONDARY EDUCATION COUNCIL, Bamunimaidam, Guwahati-781 021, Email: ahsec1@yahoo.com Website: www.ahsec.nic.in
5. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ASSAM, Bamunimaidam, Guwahati-781021, Website - www.sebaonline.org
6. ASSAM SANSKRIT BOARD, Kahilipara, Guwahati- 19, CHANGED NAME ITS IN 2017, NEW NAME : KUMAR BHASKAR VARMA SANSKRIT AND ANCIENT STUDIES UNIVERSITY www.kbvsasun.ac.in
7. STATE MADRASSA EDUCATION BOARD, ASSAM, Govt. of Assam, Office of the Director of Madrasa Education & Secretary, State Madrasa Education Board, Assam, Kahilipara, Guwahati- 781019, www.smeb-assam.in
8. ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY BOARD OF SECONDARY & SR. SECONDARY EDUCATION, www.amu.ac.in
9. BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, Budh Marg, Patna-800 001; Email: info@biharboardnet.in; Website : www.biharboard.net.in,
10. BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION, Budh Marg, Patna-800001, Website: www.bbosebihar.ac Email: info@bbosebihar.ac,
11. BIHAR STATE MADRASA EDUCATION BOARD, 5, Vidyapati Marg, Patana-800 001; Website: www.bsmeb.org E-mali:info@bsmeb.org
12. BIHAR SANSKRIT SHIKSHA BOARD, Patna-800001 Email: info@bssbpatna.ac, www.bssbpatna.ac

13. BANASTHALI VIDYAPITH, P.O. Banasthali Vidyapith-304022 www.banasthali.org ; Email: nfo@banasthali.ac.in
14. CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, www.banasthali.org; Shiksha Kendra, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092, Website: info.cbse@gov.in www.cbse.nic.in
15. CHHATISGARH BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Pension Bada, Raipur-492001; Fax : 0771-2424094, 2429385, www.cgbse.org Email: ds.cgbse@rediffmail.com
16. CHHATISGARH STATE OPEN SCHOOL, Besides UCO Bank, Pension Bada, Raipur – 492001 (C.G) www.cgsos.co.in Email: gsosraipur@gmail.com
17. CHHATTISGARH SANSKRIT BOARD, RAIPUR, New Rajendra Nagar, Near Water Tank, Chattisgarh, Raipur-492001 Fax: 0771-4001733, www.csbraipur.org
18. CHHATTISGARH MADRASA BOARD, Old P H.Q. Premise, Near Raj Bhawan (C.G.) Raipur-492001., E-mail: madarsacg@gmail.com <http://cgmadarsaboards.in/> Fax : 0771 -4055708
19. COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS, Plot no. 35 & 36, M.B. Road, Sector VI, Pushp Vihar Saket, New Delhi-110001., Website: www.cisce.net Email: council@cisce.net 19 (A). DELHI BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION, NEHRU PLACE, NEW DELHI - 110019 WEBSITE: www.delhiboard.org, E-mail: info@delhiboard.org
20. DAYALBAGH EDUCATIONAL INSTITUTE, (DEEMED UNIVERSITY) DAYALBAGH, AGRA-282 110; Fax: 0562-2801226 Website: www.dei.ac.in E-mail: dbei@sancharnet.in
- 21.(A) DELHI STATE OPEN SCHOOL, PREET VIHAR, DELHI - 110092, WEBSITE www.dsos.co.in E-mail: dsos.contact@gmail.com
21. (B) ICSE BOARD (INDIAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION / INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, Pushp Vihar Saket, New Delhi-110001. WEBSITE www.icseindia.in
22. GOA BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION, Alto Betim, Berdez Goa-403521 Fax: 0832-2414289 Tel: 0832-2417593, Website: www.gbshse.gov.in, E-mail: chairman-gbshse.goa@nic.in, secgbshse.goa@nic.in
23. GUJARAT SECONDARY AND HIGHER, SECONDARY EDUCATION BOARD, Sector 10/B Near Old Sachivalaya, Gandhinagar- 382010, Phone No: 079- 23220538, FAX: 23253828, Website: www.gseb.org E-mail: gshseb_gnr@yahoo.com

- 24 (A). BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, Hansi Road, Bhiwani-127021, E-mail: adew@hbse.org.in Website: www.bseh.org.in
25. Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, (Deemed to be University) Haridwar -249404, Post Office Gurukula Kangri, www.gkv.ac.in
26. H. P. BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Gayana Lok Parisar, Civil Lines, Dharamsala, Kangra(H.P) 176213, EPABX-229033-229037; Fax: 01892-222817 to 2225419, Website: www.hpbose.org E-mail: hpbose2011@ngmail.com
27. The J & K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Rehari Colony, Jammu-180005 (Nov to Apr) Bemina, Bye Pass, Srinagar-190010 (May to Oct), PBX: 0194-2491179 (Srinagar), (PBX: 0191-2583494 (Jammu) Official website: www.jkbose.co.in
- 27 (A). JAMMU AND KASHMIR STATE OPEN SCHOOL, Jammu-180001 (Nov to Apr), Srinagar-190010 (May to Oct), Official website: www.jksos.net, E-mail: contact@iksos.ac / contact.jksos@gmail.com/ner.pue@gmail.com
28. JHARKHANDACADEMIC COUNCIL, RANCHI, Gyandeeep Campus, Bargawan, Namkum, Ranchi-834010., Tel.: 0651-6453342-45, Fax: 0651-2261999, Website: www.jac.nic.in,
29. GOVT. OF KARNATAKA DEPT. OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION, 18th Cross, Sampige Road Malleswaram, Bangalore 560012. Fax: 080-23361852, Website: www.pue.kar.nic.in E-mail: ommissioner.pue@gmail.com
30. KARNATAKA SECONDARY EDUCATION, EXAMINATION BOARD, 6TH Cross, Malleswaram, Bangalore-560003. Fax: 080-23347670, Website: www.kseeb.kar.nic.in Email: dpikseeb@gmail.com,
31. KERALA BOARD OF PUBLIC EXAMINATION, KERALA, PAREEKSHA BHAWAN, POOJAPURA, Thiruvananthapuram - 695012, Grams: Secretary Examination Thiruvananthapuram, KERALA, Email: info@kbpe.org Website: www.kbpe.org
32. KERALA BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, Housing Board Buildings, Santhi Nagar Thiruvananthapuram-695001, Fax: 0471-2320714,2338735, Website: dhsekerala.gov.in E-mail: jdexamdhse@gmail.com
33. BOARD OF VOCATIONAL HIGHER, SECONDARY EDUCATION, KERALA, Housing Board Buildings,, Thiruvananthapuram - 695001, 0471-2325318, Fax: 0471-2325323; Website: www.vhse.kerala.gov.in, Email: vhsedepartment@gmail.com

34. MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION, No. 832 A, Final Plot No. 178, 179 Near Balchitravani, Behind Agharkar Reserach, Institue,, hamburda, Shivajinagar, Pune-411004 Grams: MAHABOSEC PUNE Website: www.msbshe.ac.in, Email: chairman@msbshe.ac.in, secretary@msbshe.ac.in
35. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, Shivaji Nagar Bhopal462011, Website: mpbse.nic.in E-mail: mpbse@mp.nic.in,
36. M.P. STATE OPEN SCHOOL EDUCATION BOARD, School Education Department Govt. of M.P. Shivaji Nagar, Bhopal- 462011. (M. P.), Ph. 0755 -2671066 Fax: 2552106, Website: www.mpsos.nic.in E-mail: mpsos@rediffmail.com
37. MAHARISHI PATANJALI SANSKRIT SANSTHAN, (Dept. Of School Education, Govt. Of M.P) R-24, Zone -1, M P Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh - 462003, Website: www.mpsb.nic.in E-mail:, atanjalisansthan@yahoo.co.in; Fax: 0755-2576296
38. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MANIPUR, Babupara, Imphal-795001; Fax: 0385-2450889, 2226770, E-mail: mani_board@yahoo.co.in, www.bsem.nic.in
39. COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, MANIPUR, Babupara, Imphal795001, Phone No. 9436203535 E-mail: secy.cohsem-mn@nic.in, Website: www.cohsem.nic.in
40. MEGHALAYA BOARD OF SCHOOL EDUCATION, West Garo Hills, Tura, Meghalaya 794001, Fax: 03651-232874; Website: mbose.in, E-mail: mbose_tura@rediffmail.com,
41. MÁORAM BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Chaltlang, P.O Ramhlan AÁawl-796012, Website: www.mbse.edu.in E-mail: mbseoffice@gmail.com,
42. NAGALAND BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Post Box 613, Kohima 797001; Fax 0370-2260201, 2260502, Website: www.nbsenagaland.com E-mail: nagaboard@gmail.com,
43. NATIONAL INSTITUTE OF RURAL OPEN SCHOOLING, NEW DEHI, Website: www.niros.ac Email: info@niros.ac 43 (A). NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING, A-24-25, Institutional Area, Phase8, NOIDA-201309(UP), Distt.-Gautam Budh Nagar(UP); Ph: 0120- 4089858, help@nios.ac.in, Website: www.nios.ac.in /www.nios.ac.in/help
43. NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING, A-24-25, Institutional Area, Phase-8, NOIDA-201309(UP), Distt.-Gautam Budh Nagar(UP); Ph: 0120- 4089858, help@nios.ac.in, Website: www.nios.ac.in/www.nios.ac.in/help

44. COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, ODISHA, C-2 Prajnapitha, Samantapur, Bhubaneswar - 751013, E-mail - chseodisha@gmail.com, Website: www.chseodisha.nic.in
45. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ODISHA, Bajrakabati Road, Cuttack-753001 Website: www.bseodisha.nic.in, www.bseodisha.ac.in, E-mail: admin_bseodisha.od@nic.in, info_bseodisha.od@nic.in
46. PUNJAB SCHOOL EDUCATION BOARD, Vidya Bhawan, SAS Nagar, Phase - 8, MO, ali 160059, Grams: PUNJAB BOARD SAS NAGAR, Fax -, 172 - 5227423, 424, 425, Email: psebmoahali@gmail.com E- mail: pseb@yahoo.ac.in Website: www.pseb.ac.in
47. BOARD OF SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN, Jaipur Road, Ajmer 305001 (Rajasthan) PBX-0145-2632866-2632873, Fax: 0145-2227570, Website: rajeduboard.nic.in E-mail: secy-boser-rj@nic.in
48. RAJASTHAN STATE OPEN SCHOOL, JAIPUR, 2-2A, Jhalana Doongri Jaipur – 302004 (Rajasthan) Fax. 0141-2705067, website: rsosapp.rajasthan.gov.in E-mail: rajasthansos@gmail.com
49. CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, FORMERLY: RASHTRIYA SANSKRIT SA, STHAN, Deemed University 56-57, Institutional Area Janakpuri, New Delhi-110058 Email: rsks@nda.vsnl.net.in Website: sanskrit.nic.in
50. STATE BOARD OF SCHOOL EXAMINATIONS(SEC.) & BOARD OF, HIGHER SECONDARY EXAMINATIONS, TAMIL NADU, College Road, Chennai 600006. Website: www.dgel.tn.nic.in.help and www.tamilnadustateboard.org, E-mail: info@tamilnadustateboard.org / sbsebhse@gmail.com
51. TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION,, NAMPALLY HYDERABAD-500001 Website: bie.tg.nic.in/ Phone No. 040-24603314,
52. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, TELANGANA STATE, CHAPEL ROAD, NAMPALLY, HYDERABAD-500001, E-mail: info@bsetelanganagov.in / bsetinfo@gmail.com, Website: www.bsetelanganagov.in
53. TELANGANA OPEN SCHOOL SOCIETY, Government of Telangana, III Floor, Basheerbagh, Hyderabad-500001, Fax No. 040-23299568 E-mail: dirtoshyd@gmail.com, Website: www.telanganaopenschool.org
54. RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (RGUKT), Basar, Nirmal Distt., Telangana State - 504107, <https://www.rgukt.ac.in/>

55. TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Pandit Nehru Complex (Gurkha Basti), P.O. Kunjaban, Agartala-799006, Tripura West, Website: tbse.in E-mail: tbse2009@rediff.com,
56. U.P. BOARD OF HIGH SCHOOL & INTERMEDIATE EDUCATION, New Office: Sarojini Naidu Marg Allahabad -211001. Grams:, INTERMEDIATE ALLAHABAD, (Lucknow) E-mail: upmsp@rediffmail.com www.upmsp.edu.in
57. U.P. Board of SEC. SANSKRIT EDUCATION, NEW OFFICE -9, SAROJANI NAIDU MARG, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH - PIN CODE 211001, OLD OFFICE: SANSKRIT BHAWAN, 2 SHAMEENA ROAD, LUCKNOW, Email: upboardsse@gmail.com Website: www.upsanskritboard.in
58. BOARD OF SCHOOL EDUCATION UTTARAKHAND, Ram Nagar, Nainital-244715 EPABX-05947-254275. Fax: 05947-255021., E-mail-eduua@yahoo.co.in, Secyubse@yahoo.com, www.ubse.uk.gov.in
59. UTTRAKHAND SANSKRIT, SHIKSHA PARISHAD, Gangotari Enclave, Badripur Road. Indrapur, Dehradun-248001 (Uttarakhand), E-mail :- ssnuk2011@gmail.com, Website: www.sanskriteducation.uk.gov.in
60. UTTRAKHAND MADRASA EDUCATION BOARD, SHIKSHA PARISHAD, Minority Welfare Building, B- Block,, Shaheed Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun-248001 (Uttarakhand) Web: www.ukmadarsaboard.org.in Email: ukmadarsaboard@gmail.com
61. WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Nivedita Bhawan, Block DJ-8, Sect. II, Salt Lake City, Kolkatta-700091,, Fax no. 033- 2321-3812, Telefax: 033 -2321-3812., Website: www.wbchse.nic.in E-mail:- wbbse05@yahoo.co.in, ds.acad.wbbse@gmail.com
62. WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, Vidya Sagar Bhavan, 9/2, D.J. Block, Sector-II, Salt Lake, Kolkata 700091., Website: wbchse.nic.in E-mail: wbcouncil_hse@vsnl.net.in,
63. WEST BENGAL BOARD OF MADRASAH EDUCATION, Begum Rokaiya Bhavan 19 Haji Md. Mohsin Square, Kolkata - 700016., Fax: 033-22497774/22497773, Email: president-wbbme@yahoo.com, wbbchse@gmail.com Website: www.wbbme.org
64. THE WEST BENGAL COUNCIL OF RABINDRA OPEN SCHOOLING, Bikash Bhavan (2nd floor, East Block) Bidhannagar, Kolkata- 700091., Tele Fax: 033-23345199, 23213261, www.twbcros.org
65. COUNCIL OF UNIVERSAL BUDDHIST UNIVERSITY, NAGPUR, MAHARASHTRA , Mobile No: 09923970110, 09326299988, 074, 7227415, <http://www.buddhistuniversity.org>

66. ODISHA STATE BOARD OF MADRASA EDUCATION, Urdu Bhavan, Qr. No. 3R/1, Unit IX (Flat) Bhubaneswa, -751022,

67. WEST BENGAL STATE COUNCIL OF TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION, & SKILL DEVELOPMENT (WBSCT&VE&SD), Karigori Bhavan, 5th floor, Plot-B/7, Action Area-III, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700160, www.wbscvet.nic.in

68. BOARD OF OPEN SCHOOLING & SKILL EDUCATION (BOSSE), Nh-10 Near EBI Bank, M.P. Golai, Tadong, Gangtok-737102., Website: bosse.ac.in

69. BHARTIYA SHIKSHA BOARD, Patanjali Yogpeeth, Phase-2 Bah, drabad,, Haridwar249405 (Uttarakhand)